भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2547
दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों का डिजिटलीकरण

2547. श्री राघव चड्ढा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के डिजिटलीकरण हेतु कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार शामिल की गई विद्युत वितरण कंपनियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए कार्मिकों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण, जिसमें वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का प्रचालन तथा उसका डिजिटलीकरण शामिल है, संबंधित वितरण यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो संबंधित राज्य सरकार एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग के मार्गदर्शन में कार्य करती है। भारत सरकार ने पहले विभिन्न स्कीमों, जैसे दिसंबर, 2014 में शुरू की गई एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), वर्ष 2015 में स्थापित राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम), तथा वर्तमान में जुलाई, 2021 में वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के माध्यम से, राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाया है।

आईपीडीएस के अंतर्गत, 58,686 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य निष्पादित किए गए थे, जिसने उप-समाहित पुनर्रचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत वितरण क्षेत्र के आईटी सक्षमीकरण को सहायता प्रदान की, जिसमें उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी), 59 नगरों में

स्काडा/डीएमएस, 1,414 नगरों में रियल-टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएएस) से संबंधित कार्य तथा 6.54 लाख स्मार्ट मीटरों की संस्थापना शामिल थी। यह स्कीम मार्च 2022 में बंद हो चुकी है।

एनएसजीएम का उद्देश्य भारत में स्मार्ट ग्रिड से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाना तथा उसकी निगरानी करना है। मिशन के प्रमुख घटकों में पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन सहित परियोजनाओं के निर्माण में सहायता, परियोजना मूल्यांकन, परियोजनाओं को निधि प्रदान करना तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल थे। एनएसजीएम के अंतर्गत, राजस्थान राज्य में 1,45,343 स्मार्ट मीटर तथा चंडीगढ़ में 24,214 स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए थे। मिशन के अंतर्गत कुल 72.27 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिसमें से 31.85 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2023 से जारी किए गए थे। यह मिशन मार्च 2024 में बंद कर दिया गया था।

आरडीएसएस के अंतर्गत, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों एवं स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों हेतु 1.53 लाख करोड़ रुपये तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों हेतु 1.31 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें वितरण यूटिलिटी के डिजिटलीकरण से संबंधित कार्य शामिल हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

1. 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.05 लाख फीडरों तथा 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) एवं संबंधित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करने वाले स्मार्ट मीटरिंग कार्य।
2. 394 नगरों के लिए 2,627 करोड़ रुपये मूल्य के स्काडा (सुपरवाइज़री कंट्रोल एंड डेटा एक्विज़िशन)/डीएमएस (डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) कार्य संस्वीकृत किए गए।
3. उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणाली, एकीकृत बिलिंग समाधान, जीआईएस-आधारित कार्य तथा रियल-टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएएस) जैसे आईटी/ओटी कार्य, जिनका मूल्य 3,999 करोड़ रुपये है।
4. सात शहरों के लिए 8,608 करोड़ रुपये मूल्य के स्मार्ट वितरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें स्काडा एवं स्मार्ट प्रौद्योगिकी कार्य, जीआईएस उपकेंद्र, वितरण ट्रांसफार्मर हेल्थ मैनेजमेंट, एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगतीकरण तथा प्रणाली संवर्धन/आधुनिकीकरण कार्य शामिल हैं।

उपर्युक्त कार्य 28 राज्यों एवं 45 वितरण यूटिलिटी के लिए संस्वीकृत किए गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग, आईटी/ओटी कार्यों, स्काडा/आरटी-डीएएस कार्यों तथा स्मार्ट वितरण कार्यों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध I-II** पर है। वित्त वर्ष 2023 से आरडीएसएस के अंतर्गत अब तक, 47,124 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए जारी किए गए 2,733 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, देश भर में डिजिटलीकरण को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए, भारत सरकार ने इंडिया एनेर्जी स्टैक (आईईएस) की शुरूआत की है, जिसकी परिकल्पना विद्युत क्षेत्र में आंकड़ों के आदान-प्रदान हेतु एक सार्वभौमिक डिजिटल सक्षमीकरण सृजित करने के रूप में की गई है।

(घ) : डिजिटल प्रणालियों सहित क्षेत्रों में डिस्कॉम कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए, आरडीएसएस के अंतर्गत, 100.9 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसमें से जुलाई, 2026 तक 23.36 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है, तथा कुल 14,853 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आरडीएसएस के अंतर्गत प्रशिक्षित कार्मिकों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर है।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2547

अनुबंध-I

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग तथा आईटी/ओटी कार्यों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	आईटी/ओटी कार्यों* की संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	-
2	आंध्र प्रदेश	4,128	120
3	अरुणाचल प्रदेश	184	22
4	असम	4,050	62
5	बिहार	2,021	406
6	छत्तीसगढ	4,105	121
7	दिल्ली	13	-
8	गोवा	469	39
9	गुजरात	10,642	507
10	हरियाणा	0	276
11	हिमाचल प्रदेश	1,788	82
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,064	119
13	झारखंड	858	83
14	कर्नाटक	0	-
15	केरल	8,231	238
16	लद्दाख	0	-
17	मध्य प्रदेश	8,911	425
18	महाराष्ट्र	15,215	171
19	मणिपुर	121	40
20	मेघालय	310	21
21	मिजोरम	182	10
22	नागालैंड	208	15
23	पुडुचेरी	251	-
24	पंजाब	5,769	136
25	राजस्थान	9,715	455
26	सिक्किम	97	22
27	तमिलनाडु	19,235	3
28	तेलंगाना	0	-
29	त्रिपुरा	319	44
30	उत्तर प्रदेश	18,956	260
31	उत्तराखंड	1,106	226
32	पश्चिम बंगाल	12,670	96
	कुल	**1,30,671**	**3,999**

* हानि न्यूनीकरण घटक के अंतर्गत संस्वीकृत

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2547

अनुबंध-II

क. आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत स्काडा/आरटी-डीएएस कार्यों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरडीएसएस के तहत स्काडा/डीएमएस शहर (सं.)	आरडीएसएस के तहत आरटी-डीएएस/एसएफएमएस फीडर (सं.)
1	आंध्र प्रदेश	0	-
2	असम	0	-
3	बिहार	1	-
4	छत्तीसगढ	0	-
5	दिल्ली	1	-
6	गोवा	0	-
7	गुजरात	192	14,000
8	हरियाणा	2	-
9	हिमाचल प्रदेश	43	-
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	-
11	झारखंड	0	-
12	केरल	3	-
13	मध्य प्रदेश	147	-
14	महाराष्ट्र	1	-
15	मेघालय	0	-
16	मिजोरम	0	-
17	ओडिशा	0	-
18	पुडुचेरी	0	-
19	पंजाब	0	-
20	राजस्थान	0	-
21	तमिलनाडु	0	-
22	तेलंगाना	0	-
23	उत्तर प्रदेश	3	-
24	उत्तराखंड	3	1,269
25	पश्चिम बंगाल	0	-
	कुल	**396**	**15,269**

नोट: (i) आरडीएसएस के अंतर्गत आरटी-डीएएस/एसएफ़एमएस कार्य उपनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के फीडरों को कवर करते है।

ख. आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट वितरण कार्य

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम	शहर	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत केंद्रीय अनुदान (करोड़ रुपये)
1	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	गुरूग्राम	706.04	423.62
2	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	फरीदाबाद	2,932.17	1,759.30
3	उत्तर प्रदेश	केस्को	कानपुर	751.27	450.76
4	उत्तर प्रदेश	पीवीवीएनएल	नोएडा	1,333.20	799.92
5	उत्तर प्रदेश	पीयूवीवीएनएल	वाराणसी	1,455.18	873.11
6	बिहार	एसबीपीडीसीएल	पटना	873.67	524.21
7	उत्तराखंड	यूपीसीएल	ऋषिकेश	556.05	500.44
	कुल			**8,607.58**	**5,331.36**

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2547

अनुबंध-III

आरडीएसएस के अंतर्गत प्रशिक्षित कार्मिकों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम	प्रतिभागी
1	अंडमान निकोबार	ए एंड एन	48
2	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	332
3		एपीईपीडीसीएल	754
4		एपीएसपीडीसीएल	487
5	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	205
6	असम	एपीपीडीसीएल	250
7	बिहार	एनबीपीडीसीएल	176
8		एसबीपीडीसीएल	205
9	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	311
10	दिल्ली	एनडीएमसी	75
11	गोवा	गोवा पीडी	297
12	गुजरात	डीजीवीसीएल	306
13		एमजीवीसीएल	130
14		पीजीवीसीएल	309
15		यूजीवीसीएल	274
16	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	388
17		यूएचबीवीएनएल	195
18	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	531
19	जम्मू एवं कश्मीर	जेपीडीसीएल	186
20		केपीडीसीएल	159
21	झारखंड	जेबीवीएनएल	277
22	कर्नाटक	बेसकॉम	170
23		सेसकॉम	147
24		गेसकॉम	39
25		हेसकॉम	184
26		मेसकॉम	40
27	केरल	टीसीईडी+सीपीटी	180
28		केएसईबीएल	823
29	लद्दाख	लद्दाख पीडी	81
30	मध्य प्रदेश	एमपीपीकेवीवीसीएल	347
31		एमपीपीकेवीवीसीएल	479
32		एमपीपीकेवीवीसीएल	495
33	महाराष्ट्र	बीईएसटी	256
34		एमएसईडीसीएल	626
35	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	103
36	मेघालय	एमईपीडीसीएल	161
37	मिज़ोरम	मिज़ोरम-पीडी	121

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम	प्रतिभागी
38	नागालैंड	डीओपी	42
39	पुडुचेरी	पीईडी	214
40	पंजाब	पीएसपीसीएल	330
41	राजस्थान	एवीवीएनएल	179
42		जेडीवीवीएनएल	364
43		जेवीवीएनएल	280
44	सिक्किम	डीओपी सिक्किम	144
45	तमिलनाडु	टीएनपीडीसीएल/टेनजेडको	884
46	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	80
47		टीएसएसपीडीसीएल	111
48	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	366
49	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएनएल	226
50		केस्को	309
51		एमवीवीएनएल	234
52		पीएवीवीएनएल	327
53		पीयूवीवीएनएल	238
54	उत्तराखंड	यूपीसीएल	130
55	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	248
कुल			**14,853**
